संख्या- 7/2017/एस-3-231/दस-2017-ब(2)/2017

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2017

विषय:-राज भवन कोषागार, लखनऊ को कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर से जोडे जाने हेतु बी0एस0एन0एल0 के माध्यम से 02 एम0बी0पी0एस0 की कनेक्टिविटी कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3466/कम्प्यू0/150/को0नि0/2016, दिनांक 10 फरवरी, 2017, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ के राज भवन कोषागार को कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर से जोडे जाने हेतु प्रस्तावानुसार राज भवन कोषागार लखनऊ एवं वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ में 02 एम0बी0पी0एस0 की कनेक्टिविटी बी0एस0एन0एल0 से कराये जाने हेतु रूपये 4,18,140/- (रूपये चार लाख अटठारह हजार एक सौ चालीस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि विभागाध्यक्ष तकनीकी विशिष्टियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 7/2017 /एस-3-231(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद, महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।